



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012024-251549  
CG-DL-E-21012024-251549

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 21, 2024/माघ 1, 1945

No. 45]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 21, 2024/MAGHA 1, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 51(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में, —

(i) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) टोही परमिट या पूर्वोक्षण लाइसेंस का प्रत्येक धारक या संयुक्त अनुज्ञप्ति या गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए चयनित अधिमान्य बोलीदाता, परमिट या अनुज्ञप्ति के निष्पादन या आशय पत्र जारी होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, यथास्थिति, महानियंत्रक या अधिकृत अधिकारी को टोही या पूर्वोक्षण या दोनों की एक योजना प्रस्तुत

करेगा, जिसमें वह परमिट या अनुज्ञप्ति के अधीन किए गए क्षेत्र में टोही या पूर्वक्षण प्रचालन या दोनों करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की रीति इंगित करेगा।”;

(ii) उप नियम (2) में, आरंभिक पैरा में, “टोही या पूर्वक्षण” शब्दों के पश्चात, “या दोनों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 में,—

(i) उप नियम (1) में,—

(क) “टोही या पूर्वक्षण” शब्दों के पश्चात, “या दोनों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “संयुक्त अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात, “या गवेषण अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप नियम (2) में, “संयुक्त अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात, “या गवेषण अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) गवेषण अनुज्ञप्ति के मामले में, अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात टोही या पूर्वक्षण या दोनों की एक संशोधित योजना महानियंत्रक या अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें अनुज्ञप्तिधारक द्वारा धारा 10खक की उप-धारा (11) के अधीन अनुज्ञप्ति के अधीन प्रतिधारित क्षेत्र में टोही और पूर्वक्षण प्रचालनों को जारी रखने की प्रस्तावित रीति दर्शायी जाएगी।”

4. उक्त नियमों में, नियम 6 और 7 में, “संयुक्त अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात, क्रमशः “या गवेषण अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 8 में,—

(i) उप-नियम (1) में, “संयुक्त अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात, “या गवेषण अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) में,

(क) “संयुक्त अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात, “या गवेषण अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “पूर्वक्षण प्रचालन” शब्द दोनो स्थान पर जहां वे आते हैं के स्थान के पर, “टोही या पूर्वक्षण प्रचालन” शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 9 में,—

(i) पार्श्व शीर्षक में, “संयुक्त अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात, “या गवेषण अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(1) टोही परमिट या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या संयुक्त अनुज्ञप्ति या गवेषण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक यथास्थिति क्षेत्रीय नियंत्रक या इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी, और राज्य सरकार को एक अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट अनुसूची-1 के प्रारूप (ख) के साथ निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत करेगा:

(i) 1 जनवरी से 30 जून या उसकी आंशिक अवधि तक किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त तक पहुंचनी चाहिए, और

(ii) 1 जुलाई से 31 दिसंबर या उसकी आंशिक अवधि तक किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक पहुंचनी चाहिए, और

(1क) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक, उन कार्यों, जिनके लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, के पूरा होने के तीन मास के भीतर, या गवेषण अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से, जो भी पहले हो, यथास्थिति राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक या अधिकृत अधिकारी को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 5; खनन पट्टा देने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करने के अधीन तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में टोही और पूर्वक्षण प्रचालनों के परिणाम को स्पष्ट किया जाएगा।

(iii) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रत्येक अधिकृत एजेंसी राज्य सरकार और अधिकृत अधिकारी को अनुसूची- I के प्रारूप ख के साथ उप-नियम (1) में प्रदत्त निर्धारित समयावधि के अनुसार एक अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

7. उक्त नियमों में, नियम 9के पश्चात, निम्नलिखित नियम को अंतरस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**“9क. सूचना, योजना और रिपोर्ट के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध.—** गवेषण अनुज्ञप्तिधारक किसी भी रीति से इन नियमों के अधीन तैयार सूचना, योजना और रिपोर्ट या टोही या पूर्वक्षण प्रचालनों से संबंधित किसी अन्य भूवैज्ञानिक सूचना को केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सरकार या इन नियमों या अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियमों में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा।”

8. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप नियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतरस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यदि किसी खान में खनन या खनिज प्रसंस्करण कार्य पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले दो सौ सत्तर दिनों से अधिक की अवधि के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसके लिए खनन योजना को अंतिम बार अनुमोदित किया गया था; और खनन पट्टा धारक ने नियम 28 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी और राज्य सरकार को निर्धारित सूचना प्रस्तुत की है, तो धारक को ऐसे अस्थायी बंद होने की अवधि के दौरान समीक्षा के लिए खनन योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु खान को पुनः खोलने से पहले समीक्षा के लिए खनन योजना प्रस्तुत करनी होगी और उस पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9. उक्त नियमों में, नियम 12, नियम 46, नियम 47, नियम 48, नियम 50, नियम 52, नियम 53, नियम 54, नियम 55, नियम 56, नियम 59 और नियम 64 में, “संयुक्त अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात, जहां भी कही वे आते हैं, “या गवेषण अनुज्ञप्ति” शब्द को अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, नियम 35 में, उप नियम (2) में, पहले परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यदि किसी खान में खनन या खनिज प्रसंस्करण कार्य पिछले वित्त वर्ष के दौरान एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए बंद कर दिया जाता है; और खनन पट्टा धारक ने नियम 28 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी और राज्य सरकार को निर्धारित नोटिस प्रस्तुत कर दिया हो, तो धारक को उक्त पिछले वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट और छवियां प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

11. उक्त नियमों में, नियम 36, नियम 37, नियम 41, नियम 42 और नियम 44 में, “संयुक्त अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात, जहां कही वे आते हों, “गवेषण अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमों में, नियम 40 में, “पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात, “संयुक्त अनुज्ञप्ति, गवेषण अनुज्ञप्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

13. उक्त नियमों में, नियम 56में, उप नियम (1) में, “पूर्वक्षण” शब्द के स्थान पर, “टोही या पूर्वक्षण” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों में, अनुसूची I में,—

- (i) प्रारूप-क, प्रारूप-ख, प्रारूप-ज, प्रारूप-झ, प्रारूप-ञ, प्रारूप-ट और प्रारूप-ढ में, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के बाद "या गवेषण अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) प्रारूप-क, प्रारूप-ख, प्रारूप-ज और प्रारूप-झ में, "खनिज संरक्षण विकास नियम, 2016" शब्दों के स्थान पर, "खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (iii) प्रारूप-ख में, "प्रारूप भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश" शीर्ष के अधीन, पहले अनुदेश के लिए निम्नलिखित अनुदेश को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"• समयक रूप भरा हुआ, यह प्रारूप, यथास्थिति 9(1), 9(2) या 9(4) नियमों, में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित अधिकारियों तक पहुंच जाना चाहिए।";

(iv) प्रारूप-ज में, प्रविष्टि 11 में, खंड (ii) में, "पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/" शब्द और प्रतीक के पश्चात "संयुक्त अनुज्ञप्ति / गवेषणअनुज्ञप्ति" शब्द और प्रतीक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

15. उक्त नियम में, अनुसूची II और अनुसूची III के स्थान पर, निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्: —

**"अनुसूची-II**

**[नियम 45 (7क) देखें]**

**नियम 45 के अधीन उल्लंघन के मामले में चुकायी जाने वाली रकम**

मद	रकम (रूपये में)	स्पष्टीकरण
(1)	(2)	(3)
नियत तारीख तक प्रारूप च1, च2, च3 में मासिक विवरणी में सूचना देने या अपूर्ण/गलत/झूठी सूचना देने पर	25 हेक्टेयर तक पट्टा क्षेत्र और 2 लाख टन तक प्रति वर्ष अनुमोदित उत्पादन क्षमता वाले पट्टों के मामले में, उल्लंघन के सुधार तक नियम में यथाविनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात 5,000/- रूपये प्रतिदिन।  अन्य सभी मामलों में, उल्लंघन के सुधार तक नियम में यथाविनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात 10,000/- रूपये प्रतिदिन।	पट्टाधारक द्वारा किए जाने वाले, आवश्यक सुधारों को सम्मिलित करने हेतु भारतीय खान ब्यूरो द्वारा संदर्भित वापसी विवरणी के मामले में और यदि दी गई समय सीमा के भीतर सुधार कर लिया जाता है और उसके पश्चात उसे भारतीय खान ब्यूरो द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, तो ऐसे सुधारों की मध्यावधि के लिए कोई रकम देय नहीं होगी।  ऐसे मामलों में सुधार नहीं करने पर विनिर्देशानुसार भुगतान करना होगा।
नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर प्रारूप छ1, छ2, छ3 में वार्षिकविवरणी में सूचना नहीं देने या अपूर्ण/गलत/झूठी सूचना प्रस्तुत करने पर	25 हेक्टेयर तक पट्टा क्षेत्र और 2 लाख टन तक प्रति वर्ष अनुमोदित उत्पादन क्षमता वाले पट्टों के मामले में, उल्लंघन के सुधार तक नियम में यथाविनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात 5,000/- रूपये प्रतिदिन।	

	अन्य सभी मामलों में, उल्लंघन के सुधार तक नियम में यथाविनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात 10,000/- रुपये प्रतिदिन।	
नियत तारीख तक प्रारूप-ठ में मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने या उसमें अपूर्ण/गलत/झूठी सूचना देने पर	उल्लंघन के सुधार तक नियम में यथाविनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात 5,000/- रुपये प्रतिदिन।	
नियत तारीख तक फार्म-ड में वार्षिक विवरणी में सूचनानहीं देने पर या अपूर्ण/गलत/झूठी सूचना देने पर	उल्लंघन के सुधार तक नियम में यथाविनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात 5,000/- रुपये प्रतिदिन।	

## “अनुसूची-III

[नियम 62 (2) देखें]

## नियम जिनका उल्लंघन जुमाने सहित दंडनीय होगा

नियम संख्या	नियम का पार्श्व शीर्ष	25 हेक्टेयर तक पट्टा क्षेत्र और 2 लाख टन तक प्रति वर्ष अनुमोदित उत्पादन क्षमता वाले पट्टों के मामले में जुमाने की रकम (रूपये में)	स्तंभ (3) में दर्शाये मामलों के अतिरिक्त मामलों के लिए जुमाने की रकम (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
नियम 11 का उप-नियम(4)	खनन पट्टे के अधीन खनन प्रचालन	अधिकतम 5,00,000/-के अध्यक्षीन 1,000/- प्रतिदिन	अधिकतम 5,00,000/-के अध्यक्षीन 2,000/- प्रतिदिन
12	पूर्वक्षण और खनन प्रचालन	1,00,000/-	5,00,000/-
18	किया जाने वाला सज्जीकरण अध्ययन	1,00,000/	5,00,000/-
19	मशीनरी और संयंत्र	1,00,000/	5,00,000/-
20	खान खोलने हेतु सूचना	1,00,000/	5,00,000/-
23	प्रगामी खान बंदी योजना प्रस्तुत करना	1,00,000/	5,00,000/-
28	खानों में अस्थायी रूप से कार्य बंद करने की सूचना और पट्टाधारकों की बाध्यताएं	1,00,000/-	5,00,000/-
29	खान को पुनः खोलने की सूचना	1,00,000/-	5,00,000/-
46	कुछ नियुक्तियों की सूचना	अधिकतम 1,00,000 के अध्यक्षीन 1,000/-प्रतिदिन	अधिकतम 1,00,000 के अध्यक्षीन 2,000/-प्रतिदिन

51	खनन पट्टे के एकीकरण की सूचना	नियम में यथा निर्धारित नियत तारीख के पश्चात अधिकतम 1,00,000/- रूपये के अद्यधीन 1,000/-रूपये प्रतिदिन	नियम में यथा निर्धारित नियत तारीख के पश्चात 2,000 रूपये प्रतिदिन, अधिकतम 1,00,000/-रूपये के अद्यधीन
55	भूवैज्ञानिकों और खनन अभियंताओं का नियोजन	1,00,000/-	5,00,000/-

[फा. सं. एम. VI-1/3/2023-खान VI (भाग 2)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :—** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा. का. नि. 169 (अ), में तारीख 27 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा. का. नि. 294(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF MINES

### NOTIFICATION

New Delhi the 21st January, 2024

**G.S.R. 51(E).**— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the **Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2024.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) Every holder of a reconnaissance permit or prospecting licence or the preferred bidder selected for grant of composite licence or exploration licence, shall submit to the Controller General or the authorised officer a scheme of reconnaissance or prospecting or both, as the case may be, within a period of ninety days from the date of execution of the permit or licence or issuance of letter of intent, indicating the manner in which he proposes to carry out the reconnaissance or prospecting operations or both in the area covered under the permit or licence.”;

(ii) in sub-rule (2), in the opening para, after the words “reconnaissance or prospecting”, the words “or both” shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 5,—

(i) in sub-rule (1), —

(a) after the words “reconnaissance or prospecting”, the words “or both” shall be inserted;

(b) after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall be inserted;

(iii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) In case of exploration licence, a modified scheme of reconnaissance or prospecting or both shall be submitted to the Controller General or the authorised officer after three years from the date of execution of the licence, indicating the manner in which the licensee proposes to continue the reconnaissance and prospecting operations in the area retained under the licence under sub-section (11) of section 10BA.”.

4. In the said rules, in rules 6 and 7, after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall respectively be inserted.

5. In the said rules, in rule 8,—

(i) in sub-rule (1), after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2),—

(a) after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall be inserted;

(b) after the words “prospecting operations”, occurring at both the places, the words “reconnaissance or prospecting operations” shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 9,—

(i) in the marginal heading, after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall be inserted;

(ii) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(1) Every holder of a reconnaissance permit or prospecting licence or composite licence or exploration licence shall submit to the Regional Controller or the authorised officer in this behalf, as the case may be, and to the State Government, a half-yearly report along with Form B of the Schedule-I as under, namely:—

(i) report of the operations undertaken from 1st January to 30th June or part period thereof to reach by 15th August of each year; and

(ii) report of operations undertaken from 1st July to 31st December or part period thereof to reach by 15th February of each year.

(1A) The exploration licensee shall, within three months of the completion of the operations for which licence has been granted, or from the date of expiry of the exploration licence, whichever is earlier, submit geological report to the State Government and to the Controller General or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, explaining the result of the reconnaissance and prospecting operations in the form of a geological report prepared under rule 5 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015; identifying the area suitable for grant of a mining lease.”;

(iii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3) Every agency authorised under the second proviso to sub-section (1) of section 4 shall submit to the State Government and the authorised officer a half-yearly report along with Form B of the Schedule-I as per the stipulated period provided in sub-rule (1).”.

7. In the said rules, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

“9A. Restriction on disclosure of information, scheme and reports.— The holder of exploration licence shall not in any manner disclose the information, scheme and reports prepared under these rules or any other geological information related to reconnaissance or prospecting operations to any person other than the Government or authority specified in these rules or any other rules made under the Act, without prior approval of the Central Government.”.

8. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that if the mining or mineral processing operations in a mine is discontinued for a period exceeding two hundred and seventy days before the expiry of a period of five years for which the mining plan was approved on the last occasion; and the holder of the mining lease has submitted prescribed notice to the authorised officer and the State Government under rule 28, the holder shall not be required to submit mining plan for review during the period of such temporary discontinuation, but shall submit the mining plan for review and obtain approval of the competent authority on the same before reopening of the mine.”.

9. In the said rules, in rules 12, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59 and 64, after the words “composite licence”, wherever they occur, the words “or exploration licence” shall be inserted.

10. In the said rules, in rule 35, in sub-rule (2), after the first proviso, the following shall be inserted, namely:—

“Provided that if the mining or mineral processing operations in a mine is discontinued for a period exceeding one hundred and eighty days during the previous financial year; and the holder of the mining lease has submitted prescribed notice to the authorized officer and the State Government under rule 28, the holder shall not be required to submit the report and images for the said previous financial year.”.

11. In the said rules, in rules 36, 37, 41, 42 and 44, after the words “composite licence”, wherever they occur, the words “, exploration licence” shall be inserted.

12. In the said rules, in rule 40, after the words “prospecting licence”, the words “, composite licence, exploration licence” shall be inserted.

13. In the said rules, in rule 56, in sub-rule (1), for the words “prospecting”, the words “reconnaissance or prospecting” shall be substituted.

14. In the said rules, in Schedule I,—

- (i) in Form-A, Form-B, Form-H, Form-I, Form-J, Form-K and Form-N, after the words “composite licence”, wherever they occur, the words “or exploration licence” shall be inserted;
- (ii) in Form-A, Form-B, Form-H and Form-I, for the words, “Mineral Conservation Development Rules, 2016”, the words and figures, “Mineral Conservation Development Rules, 2017” shall be substituted;
- (iii) in Form-B, under the heading “IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM”, for the first instruction, the following instruction shall be substituted, namely:—  
 “• This Form, duly filled in must reach the concerned authorities within the period specified in rules 9(1), 9(2) or 9(4), as the case may be.”;
- (iv) in Form-H, in entry 11, in clause (ii), after the words and symbol “Prospecting Licence/” the words and symbol “Composite licence/exploration licence” shall be inserted.

15. In the said rules, for Schedule II and Schedule III, the following shall be substituted, namely:—

**“SCHEDULE-II**

[see rule 45(7A)]

**AMOUNT TO BE PAID IN CASE OF VIOLATION UNDER RULE 45**

Item (1)	Amount (in ₹) (2)	Explanation (3)
Non-submission or incomplete/wrong/false information in monthly returns in Form F1, F2, F3; by the due date	In case of leases having leased area up to 25 hectare and having per annum approved production capacity up to 2 lakh tonnes, ₹5,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation.  For all other cases, ₹10,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation.	In case of referred back returns by Indian Bureau of Mines for incorporating necessary corrections, to be undertaken by the lease holder, and if corrected within the allotted time limit and accepted thereafter by the Indian Bureau of Mines, no amount will be payable for the intervening period for such corrections.
Non-submission or incomplete/wrong/false information in annual returns in Form G1, G2, G3; by the due date	In case of leases having leased area up to 25 hectare and having per annum approved production capacity up to 2 lakh tonnes, Rs. 5,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation.  For all other cases, ₹10,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation.	Failure to rectify in such cases will attract the payment as specified.;
Non-submission or incomplete/wrong/false information in monthly returns in Form L; by the due date	₹5,000/- per day after due date of submission of return as prescribed in the Rule till rectification of violation.	
Non-submission or incomplete/wrong/false information in annual returns in Form M; by the due date	₹5,000/- per day after due date of submission of return as prescribed in the Rule till rectification of violation.	



**SCHEDULE-III**  
[see rule 62(2)]

**Rules whose contravention shall be punishable with fine**

Rule No.	Marginal heading of the Rule	Amount of Fine for leases having leased area up to 25 hectare and having per annum approved production capacity up to 2 lakh tonnes (in ₹)	Amount of Fine for the cases other than those covered in column (3)(in ₹)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sub-rule (4) of rule 11	Mining operations under mining lease	1,000/- per day, subject to maximum 5,00,000/-	2,000/- per day, subject to maximum 5,00,000/-
12	Prospecting and mining operations	1,00,000/-	5,00,000/-
18	Beneficiation studies to be carried out	1,00,000/-	5,00,000/-
19	Machinery and plant	1,00,000/-	5,00,000/-
20	Notice for opening of mine	1,00,000/-	5,00,000/-
23	Submission of progressive mine closure plan	1,00,000/-	5,00,000/-
28	Notice of temporary discontinuance of work in mines and obligations of lease holders	1,00,000/-	5,00,000/-
29	Intimation of reopening of a mine	1,00,000/-	5,00,000/-
46	Notice of certain appointments	1,000/- per day, subject to maximum 1,00,000/-	2,000/- per day, subject to maximum 1,00,000/-
51	Notice of amalgamation of mining lease	1,000/- per day after due date as prescribed in the Rule, subject to maximum 1,00,000/-	2,000/- per day after due date as prescribed in the Rule, subject to maximum 1,00,000/-
55	Employment of geologists and mining engineers	1,00,000/-	5,00,000/-".

[F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI (Part2)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

**Note:**—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 169(E) dated the 27th February, 2017 and lastly amended vide number G.S.R. 294(E), dated the 11th April, 2022.